नगर पंचायत चंडौस अलीगढ़

पत्रांक 150/ नगर पंचायत चण्डौस अलीगढ़ /2020 दिनांक 25/02/2020

सेवा में,

सचिव

गायत्री लोक कल्याण संस्थान

चंडौस अलीगढ़

विषयः गायत्री लोक कल्याण संस्थान द्वारा सुशीला देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंडौस अलीगढ़ के शैक्षणिक भवन हेतु मानचित्र स्वीकृति की अनुज्ञा प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में|

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपकी प्रार्थना पत्र दिनांक 24.02.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत निर्मित भवन के मानचित्र स्वीकृति की अनुज्ञा निर्गत किए जाने के अपेक्षा की गई है|

उक्त के अनुपालन में नगर पंचायत चंडौस गभाना क्षेत्र अंतर्गत निर्मित/निर्माण किए जाने वाले सभी प्रकार के भवनों के मानचित्र एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से लागू नक्शा उपविधि में प्राविधिक सुसंगत मानकों के अनुसार क्षेत्रीय अवन अभियंता/अभियंता द्वारा परीक्षण किया गया जिसके अनुसार विवरण विवरण निम्नवत है |

<u>भवन की संरचना प्रस्तावित मानचित्र के अनुसार</u>

1. कुल भूखंड क्षेत्रफल 11540 वर्ग मीटर
2. सभी तलों का आच्छादित क्षेत्रफल - 4674.81 वर्ग मीटर
3. फ्लोर एरिया रेशियों (एस० ए० आर०) 0.464
4. खंड का आच्छादित क्षेत्रफल 1558.27 वर्ग मीटर
5. प्रस्तावित भवन उपयोग अनुमन्य भू- उपयोग के अनुसार है
6. प्रस्तावित आराजी ग्राम चंदौस तहसील गभाना जिला अलीगढ़ के गाटा संख्या 1115 रकबा 1.154 है० भूमि को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अंतर्गत न्यायालय उप जिलाधिकारी गभाना द्वारा दिनांक 21.02.2020 को आकर्षित भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त कर दिया गया है|
7. निर्मित भवन में भूखंड के प्रतीक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रावधान करना होगा |
8. पार्क टोट - लॉट्स लैंडस्केप आदि का क्षेत्रफल भूखंड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत से कम नहीं होगा|

9–भवन से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लाईन की दूरी नक्शा उपविधि में अंकित उर्ध्वाधर/क्षैतिज दूरी क्रमशः 3.70 मीटर 1.80 मीटर से अधिक है।

10–भूखण्ड में 01 वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर के हिसाब से वृक्ष स्थित है, जिनको बिना वन विभाग की अनुमति नहीं काटा जायेगा।

11–कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी अलीगढ़ के पृ0सं0ई0सी0 संख्या–uppa/2019/2748/ALG/100/CFO दिनांक14.02.2022 के द्वारा कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 11540 वर्ग मीटर पर प्रस्तावित/निर्मित शैक्षिक भवन निर्माण हेतु अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (एजुकेशनल श्रेणी के अन्तर्गत) औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। (संलग्न)

भवन का अधिभोग विवरणः शैक्षणिक भवन

प्रस्तावित निर्मित भवन राष्ट्रीय भवन संहिता (नैशनल बिल्डिंग कोड–2005) व भारतीय मानक ब्यूरो में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार वास्तुविद के सुपरविजन में बनाया गया है। साथ ही भूकम्परोधी व सुरक्षित अभिकल्प (डिजाइन) होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था

नैशनल बिल्डिंग कोड–2005 के अनुसार प्राविधानित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था वांछनीय होगी, जिसके सम्बन्ध में अग्निशमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन के उपयोग से पूर्व प्राप्त करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भवन स्वामी/संस्था की होगी। साथ ही प्रस्तावित भवन के सैटबैक जिला पंचायत नक्शा उपविधि–2018 के अनुसार है, जो सदैव अवरोध मुक्त रखे जायें, जिसमें किसी प्रकार का कोई स्थायी/अस्थायी निर्माण मान्य नहीं होगा तथा भवन के चारों तरफ अग्निशमन दमकलों के आवागमन हेतु कम से कम चार मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग का होना आवश्यक है।

अतःउपरोक्तानुसार प्रस्तुत भवन मानचित्रों की अनुज्ञा प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/संस्था में सभी प्राविधान नैशनल बिल्डिंग कोड–2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत चण्डौस
अलीगढ़